

अहकाग ज
दुक्कम की तामी
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम मूशी तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

ठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 08/2017 राजस्व वाद

अनवान

1. भैरू पिता देबी चमार उम्र वयस्क निवासी अमरगढ, मूशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादी)

बनाम

1. काना पिता लादु चमार उम्र वयस्क निवासी अमरगढ, मूशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. तुलसी पुत्री लादु चमार उम्र वयस्क निवासी अमरगढ, मूशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
3. कालु ना.बा.व.वि. माता काली बैवा लादु चमार उम्र वयस्क निवासी अमरगढ, मूशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
4. काली बेवा लादु चमार उम्र वयस्क निवासी अमरगढ, मूशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
5. मोहन पिता देवी चमार उम्र वयस्क निवासी अमरगढ, मूशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
6. सहकारी भूमि विकास बैंक लि.शाखा भीलवाड़ा जरिये मेनेजर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. एस.बी.बी.जे. शाखा बनेड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. राज राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री भैरू चमार मय अधिवक्ता श्री मुरारी जोशी वादी
2. परोकार सरकार..... विपक्षी क्रम 06

दिनांक– 09.05.2018

राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम मूशी में वादी स्वयं मय अधिवक्ता व राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेड़ा शिविर के दौरान उपस्थित। आज दिनांक 09.05.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम अमरगढ पटवार क्षेत्र मूशी तहसील बनेड़ा स्थित खतौनी संख्या 61 किता 6 कुल रकबा 09-08 बीघा भूमि का शिविर मे तैयार कराया जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी हक हिस्सा प्रथक करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 से 05 शामलात यथावत रखते हुए विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का-अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

- 1 भैरू पिता देबी चमार सा.देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे शाखा बनेड़ा (वादी)

आ0न0	रकबा
85/1	01-17
84/1	00-10
86/1	00-19
88/1	01-06
कुल 04	रकबा 04-12 बीघा


उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

2. धन्ना पिता लादु, तुलसी पुत्री लादु, कालु ना.बा.व.वि.माता काली बेवा लादु, काली बेवा लादु 10/12, मोहन पिता देबी 1/6 चमार सा.देह खातेदार रहन सह.भूमि वि.बैंक लि.शाखा भीलवाड़ा हिस्सा काना तुलसी काली का (प्रतिवादीगण)

आ0न0	रकबा
84	00-05
85	01-04
86	00-04
87	01-06
88	01-12
कुल 05	रकबा 04-11 बीघा

3. शामलात यथावत -

आ0न0	रकबा
82	00.05
कुल 1	रकबा 00-05 बीघा

उपरोक्तानुसार भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 01 से 05 के मध्य क्रम संख्या 1 से 3 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 से 05 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 09.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कम्प मुकाम मूशी में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा
बनेडा (भीलवाड़ा)